दिनांक 13/05/2024 को नाबालिक युवतियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उनके साथ दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्तों को थाना राजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

दिनांक 12/05/2024 को वादिनी द्वारा थाना राजपुर पर आकर तहरीर दी कि उनकी व उनके पड़ोस में रहने वाली उनकी मित्र की नाबालिक पुत्रियां किसी काम से घर से बाहर गए थे, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी घर वापस नहीं लौटे हैं। तहरीर प्राप्त होने पर थाना राजपुर पर तत्काल मु0अ0सं0-114 /2024 धारा 363/376/506 भादवि0 ¾ पोक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा थाना प्रभारी राजपुर को नाबालिक लड़कियों की जल्द बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तत्काल थाना राजपुर पर पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल सर्विलांस व मुखबिर की सहायता से दोनों नाबालिक लड़कियों को सहस्त्रधारा से बरामद करते हुए उन्हें भगाने वाले 02 अभियुक्तों साहिल व अहतशाम को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में नाबालिक युवतियों ने गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उनके साथ दुष्कर्म करने की बात बताई गई, जिस पर अभियोग में धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। अभियुक्तो को मा० न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1- साहिल पुत्र ताहिर निवासी पानी की टंकी के पास चुना भट्टा, थाना रायपुर मूल पता कांधला, थाना कांधला, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, उम्र 26 वर्ष।

2- अहतसाम पुत्र महफूज निवासी आजाद नगर कॉलोनी, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग रायपुर, देहरादून, उम्र 21 वर्ष।

पुलिस टीम

1- म०उ०नि० रश्मि रानी

2- कां० प्रदीप

3- कां० राजेंद्र

थाना-राजपुर, जनपद-देहरादून
दूरभाष-0135-2738224